दिनांक-14.11.2019

स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छ एवं सुदर भिलाई

पट्टा के लिए 15 नवंबर तक शिविर , निर्धारित प्रारूप में लिए जा रहे हैं आवेदन

भिलाई नगर/ राजीव गांधी आश्रय योजना के अंतर्गत पट्टाधृति अधिनियम नगरीय क्षेत्रों में भूमिहीन व्यक्तियों को पट्टा अधिकार प्रदान किया जाना नियम 1984 के अंतर्गत पट्टों के नवीनीकरण/अतिरिक्त कब्जे का नियमितीकरण/परिवर्तित प्रयोजन का नियमितीकरण/अवैध खरीदी बिक्री का नियमितीकरण तथा पट्टे की भूमि को भू-स्वामी अधिकार में परिवर्तित करने के संबंध में आवेदन प्राप्त करने के लिए निगम क्षेत्र में वार्ड वार शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में आवेदनों का पंजीयन करते हुए जांच, स्थल निरीक्षण एवं निराकरण करने के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति भी कर दी गई है जो निर्धारित समय में शिविर में रहकर आवेदन का पंजीयन कर रहे हैं।

निगम भिलाई में यहां हो रहे हैं शिविर का आयोजन- जोन क्रमांक 1 अंतर्गत वार्ड 1 सांस्कृतिक भवन खम्हरिया, वार्ड 2 जोन कार्यालय नेहरू नगर, वार्ड 3 कोसानगर सांस्कृतिक भवन, वार्ड 4 सामुदायिक भवन गणेश मंदिर के पास , वार्ड 5 एवं 6 नेहरू भवन सुपेला , वार्ड 7 एवं 8 सियान सदन भवन टाटा लाइन कोहका, वार्ड 9 पुरानी बस्ती मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय , वार्ड 12 आमोद प्रमोद भवन।

जोन क्रमांक 2 अंतर्गत वार्ड 11 वैशाली नगर सांस्कृतिक भवन , वार्ड 13 एवं 14 राम जानकी मंदिर, वार्ड 16 सांस्कृतिक भवन बाजार के पास, वार्ड 17 वृंदा नगर मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय, वार्ड 19 छत्तीसगढ़ सदन शास्त्री नगर , वार्ड 27 सियान सदन हुडेक सेल।

जोन क्रमांक 3 में वार्ड 20 स्वास्थ्य कार्यालय पानी टंकी, वार्ड 21 वैकुंठ नगर मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय, वार्ड 22 बीएसपी पानी टंकी के पास मंच , वार्ड 23 रविदास भवन, वार्ड 24 दुर्गा पारा सांस्कृतिक भवन, वार्ड 25 संतोषी पारा पार्षद वार्ड कार्यालय।

जनसंपर्क अधिकारी